

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 11.11.2023

कूटरचित दस्तावेज तैयार कर फर्जी तरीके से जमीन बैनामा कराने के 03 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र0नि0/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना मनकापुर क्षेत्र के अन्तर्गत दिनांक 10.11.2023 को फर्जी तरीके से जमीन बैनामा कराने के 03 अभियुक्तगण 01. विजय प्रकाश 02. सतीश चन्द्र व 03. रवि वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्तगण ने वादी अनवारूल हक के सास के नाम दर्ज जमीन को फर्जी तरीके से बैनामा कराने की नियत से फर्जी आधार कार्ड तैयार कर बिक्री करने के लिए तहसील मनकापुर आये 03 आरोपी अभियुक्तों को वादी ने अपने सहयोगियों की मदद से पकड़ लिया। जिसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. विजय प्रकाश पुत्र चन्द्रिका प्रकाश श्रीवास्तव निवासी ग्राम नरहरपुर थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा
02. सतीश चन्द्र पुत्र लालबहादुर निवासी ग्राम सेहरिया थाना परसरामपुर जनपद बस्ती।
03. रवि वर्मा पुत्र सालिकराम वर्मा निवासी घुरदा थाना परसरामपुर जनपद बस्ती।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-604/23, धारा 419,420,467,468 भादवि थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी:-

01. 02 अदद कूटरचित आधार कार्ड।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 11.11.2023

25 लाख की रंगदारी मांगने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अदद मोबाइल, 01 अदद अवैध तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र०नि०/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में आज दिनांक 11.11.2023 को थाना को० नगर पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर एक व्यपारी से 25 लाख की रंगदारी मांगने के आरोपी अभियुक्त अभिषेक कुमार मिश्रा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा मय 01 अदद जिन्दा कारतूस व रंगदारी मागने वाले मोबाइल फोन मय सीम बरामद किया गया। उक्त अभियुक्त ने वादी अजय अग्रवाल से 25 लाख की रंगदारी मांगी गयी थी। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना को० नगर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को० नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. अभिषेक कुमार मिश्रा पुत्र उद्यानन्द मिश्रा निवासी सती मन्दिर के पास बक्शीपुरा थाना दरगाह जनपद बहराईचा।

अनावरित अभियोग-

01. मु०अ०सं०-959/23, धारा 384,504, 506 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं०-974/23, धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी:-

01. 01 अदद मोबाइल फोन।

02. 01 अदद अवैध तमंचा मय 01 अदद जिन्दा कारतूस ।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

उ०नि० प्रतीक पाण्डेय मय टीम थाना को०नगर गोण्डा ।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 11.11.2023

अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर किन्नूबरा नहर पुलिया के पास से अभियुक्त मो०हुसैन उर्फ जाकिर मुल्ला को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 225 नशीली गोली अल्प्रासेफ बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना खरगूपुर में एन०डी०पी०एस० ऐक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. मो० हुसैन उर्फ जाकिर मुल्ला पुत्र जुमई उर्फ इसराइल निवासी ग्राम अलीनगर मौजा लोनावा दरगाह थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं०-386/23, धारा 8/21 एन०डी०पी०एस० ऐक्ट थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 225 नशीली गोली अल्प्रासेफ बरामद।

गिरफ्तार कर्ता-

उ०नि० प्रदीप कुमार सिंह मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 11.11.2023

नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं से घटित अपराधों में वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र०नि०/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर बहला-फुसला कर भगा ले जाकर दुष्कर्म करने का वांछित अभियुक्त विक्रम कोरी को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने थाना खरगूपुर क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता की माँ द्वारा थाना खरगूपुर में अभियोग पंजीकृत कराया था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. विक्रम कोरी पुत्र हंसराज निवासी ग्राम पिपरा चौकी ललीतनगर थाना विशेश्वरगंज जनपद बहराइचा

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं०-379/23 धारा 363, 366, 376 भादवि 3/4 पाक्सो ऐक्ट थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता-

01. उ०नि० मय टीम थाना खरगूपुर, गोण्डा।